न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

सिविल प्रकरण संख्या – 17 / 2024 तारीख रजू 29.02.2024

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।
आवेदक

बनाम

1 राजकुमार गोयल पुत्र सूरजमल गोयल, (विक्रेता) मैसर्स मित्तल रिटेल प्रा0 लि0 पुरानी ट्रक यूनियन बजरिया, सवाईमाधोपुर निवासी केशव नगर बजरिया, सवाई माधोपुर
2 श्री विनायक मित्तल पुत्र श्री अशोक कुमार (विक्रेता एवं फर्म मालिक) मैसर्स मित्तल रिटेल प्रा0 लि0 पुरानी ट्रक यूनियन बजरिया, सवाईमाधोपुर निवासी केशव नगर बजरिया, सवाई माधोपुर
3 रविन्द्र राठी पुत्र नन्द किशोर राठी (फर्म मालिक) मैसर्स नन्द किशोर रविन्द कुमार सी–7, मुख्य मण्डी, मण्डोर रोड जोधपुर निवासी ए–11 मारवाड नगर, महामन्दिर जोधपुर 342006
4 राजेश शान्तिलाल शाह (नोमिनी) मैसर्स श्री कैलाश मार्केटिंग ब्लॉक नं. 323, बारदोली रोड, जीआईडीसी के पास नासिलपोर, नवसरी गुजरात 396554 निवासी 42, पीजी गार्डन, ग्रीन रोड काबिलपोर नवसरी गुजरात 396424
5 मैसर्स श्री कैलाश मार्केटिंग ब्लॉक नं. 323, बारदोली रोड, जीआईडीसी के पास नासिलपोर, नवसरी गुजरात 396554 (निर्माता फर्म)
........अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii), 2(v)/52 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– **दिनांक 23.07.2025**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान शुद्ध के लिए युद्ध के अन्तर्गत दिनाक 02.03.2023 को 02.00 पी.एम. पर मैसर्स मित्तल रिटेल प्रा0 लि0 पुरानी ट्रक यूनियन के पास बजरिया, जिला सवाई माधोपुर पर पहुचा। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर उपस्थित विक्रेता से स्वय का आधार कार्ड, खाद्य अनुज्ञापत्र / रजिस्ट्रेशन मांगा जिस पर उन्होंने फर्म का खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र एवं फर्म मालिक के आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की। आवेदक द्वारा मौके पर [illegible] का निरीक्षण करने पर आम जनता को विक्रय हेतु Poha (Swastik Brand) [illegible] थे। Poha

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:23:53 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

(Swastik Brand) 01 Kg. पॉलिपैक में गुणवत्ता / मिलावट का अंदेशा होने पर Poha (Swastik Brand) 01 Kg. की 04 पैकिट्स को खरीदकर उसकी कीमत 272/- रूपये विक्रेता राजकुमार गोयल को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान ललित कुमार अग्रवाल के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे राजकुमार गोयल ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति विक्रेता राजकुमार गोयल को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा Poha (Swastik Brand) 01 Kg. के 04 पैकिट्स को मूल ही लेकर 04 लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं **H-2648** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक H-2648 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉं तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के एक आउटर कवॅर में लपेटकर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म स. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नूमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/551–54 दिनांक 06.04.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/569/एक्ट/2023/616 दिनांक 09.03.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** Poha (Swastik Brand), Misbrand Food Under Section 3(1)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standard Act 2006 होना पाया गया है। आवेदक द्वारा अनुसधान बाबत मैसर्स मित्तल रिटेल प्रा0लि0 बजरिया सवाई माधोपुर को अग्रिम माल खरीद बिल हेतु पत्र लिखा। जिस पर मैसर्स मित्तल रिटेल प्रा0लि0 बजरिया सवाई माधोपुर द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। मै0 नन्दकिशोर रविन्द्र कुमार जोधपुर को पत्र लिखा।

उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा मिसब्राण्ड [illegible] Poha (Swa[illegible] का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 200[illegible] धारा 26 की उपधारा 2(ii)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:23:53 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण जरिये अधिवक्तागण उपस्थित हुये। अभियुक्तगण द्वारा प्रकरण में जवाब पेश गया किया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्तगण ने मिसब्राण्डेड Poha (Swastik Brand) का विकय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्तगण ने जरिये अधिवक्तागण प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों का उल्लेख करते हुए अभियुक्त संख्या 1 की ओर से बहस में तर्क दिया गया कि सेम्पल मिसब्राण्ड किस कारण से है उल्लेख नहीं किया है। अभियुक्त संख्या 2 व 3 की ओर से बहस में तर्क दिया कि उनके द्वारा कोई माल विकय नहीं किया है न ही भण्डारन किया है एवं न ही निर्माण किया है। इस कारण अभियुक्त संख्या 2 व 3 को गलत पक्षकार बनाया गया है। अभियुक्त संख्या 4 व 5 की ओर से बहस में तर्क दिया गया कि अभियुक्त संख्या 4 व 5 को गलत पक्षकार बनाया गया है जबकि उक्त कार्यवाही विक्रेता के परिसर व कब्जे से हुई है जो दिनांक 02.03.2023 को विक्रेता के परिसर व मौजूदगी में हुई है। उक्त मैटेरियल पर निर्माता ने Exp. Date भी अवश्य अंकित की है। उक्त उत्पाद प्रथम पार्टी ने कय नहीं किया उनसे थर्ड पार्टी ने कय किया और प्रार्थी ने सेम्पल प्रथम पक्षकार के परिसर से कार्यवाही काफी दिन बाद की है जो माल परिवहन के कारण रगड व लापरवाही पूर्वक रखने या जानबूझकर हटाने से भी Exp. Date मिट सकती है जिसकी जिम्मेदारी जबावदाता की नहीं है। निर्माता का उत्पाद माह जनवरी 2023 को निर्मित कर पैक किया है जबकि उक्त कार्यवाही प्रथम पक्ष के परिसर से अन्दर कार्यवाही हुई है जो अन्दर 6 माह के बजाय 2 माह है जिससे स्पष्ट है कि उत्पाद गारंटी पीरियड है खाने योग्य है। जिसमें जबावदाता की किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अन्त में अभियुक्त द्वारा प्रकरण में शास्ति अधिरोपित कर प्रकरण का निरस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/569/एक्ट/2023/616 दिनांक 09.03.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** Poha (Swastik Brand) मिसब्राण्डेड प्रकृति का होना पाया गया है। जोकि नमूने में Expiry Date नहीं होने के कारण मिसब्राण्डेड आया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/बिल के अवलोकन से अभियुक्तगण द्वारा किये गये कथनों की पुष्टि नहीं होती है। अन्त में अभियुक्तगण ने जरिये अधिवक्तागण द्वारा दौराने बहस प्रकरण में शास्ति अधिरोपित करने का निवेदन किया गया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं [illegible] अ[illegible]यम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित [illegible] सिद्ध अपराधी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:23:53 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्तगण को मिसब्राण्डेड प्रकृति के **खाद्य पदार्थ** Poha (Swastik Brand) का विक्रय एवं निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 लगायत 5 पर कुल 25,000/–रू0 (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **23.07.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:23:53 IST
Reason: SelfAttested